172

R-1783-II-16
R-1783-I-16

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 349/अ-74/2011-12
प्रकरण क्रमांक 3/पुनर्विलोकन/2013-14

अमीरुल हसन पिता जमाल खॉं,
निवासी ग्राम वैढ़न, जिला सिंगरौली(म0प्र0)---------------------------- आवेदक
बनाम
मुख्य महाप्रबंधक, एंन0सी0एल0, गोरबी-बी परियोजना -------------- अनावेदक

प्रतिवेदन

(दिनांक 21.01.2016)

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिगाही, तहसील सिंगरौली की आराजी खसरा नंबर 80 रकवा 8.91 हे0 का पुनर्वास पट्टा रिहन्द बॉंध के डूब क्षेत्र से विस्थापित होने के कारण दिनांक 11.05.1967 को कासिम खॉं को दिया गया था, जिसके आधार पर बन्दोवस्त सर्वेक्षण पश्चात अस्तित्व में आए नवीन सर्वे नंबर 252/2 एवं 253/2 कुल रकवा 8.91 हे0 तहसीलदार द्वारा विधिवत अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व दर्ज कराया गया था। उक्त भूमियॉं मूल भूमिस्वामी कासिम खॉं द्वारा आवेदक के पक्ष में विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय करने के उपरान्त आवेदक काबिज काश्त रहे। बाद में एन0सी0एल0, गोरबी-बी परियोजना द्वारा उक्त भूमियों का अर्जन किया गया एवं सन् 1992 से बगैर प्रतिकर आदि का भुगतान किए तथा एन0सी0एल0 की पुनर्वास नीति का अनुपालन किए बगैर जबरन कोयला उत्खनन किया जाने लगा। आवेदक द्वारा अपनी भूमियों का विधिवत सीमांकन कराकर एन0सी0एल0 की परियोजना में मुआवजा एवं नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र दिए गए किन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतएव नौकरी एवं मुआवजा भुगतान कराया जावे।

2- उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा संस्थित किया जाकर अनावेदक पक्ष को आहूत किया जाकर जबाव एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। एन0सी0एल द्वारा जबाव का अवसर चाहा गया एवं उसके उपरान्त अनुपस्थित रहे एवं प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा

(क्रमशः)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1783–दो/16 जिला – सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों अ के हस्ताक्षर
26-8-16	आवेदक शासन की ओर से श्री डी0 के0 शुक्ला उपस्थित होकर उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा अपने प्रकरण कमांक 3/पुनर्विलोकन/14–15 दिनांक 21–1–16 का इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सिगाही तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली की आराजी खसरा नंबर 80 रकवा 8.91 है0 का पुनर्वास पटटा रिहन्द बांध के डूब क्षेत्र से विस्थापित होने के कारण दिनांक 11.5.1967 को कासिम खां को दिया गया था, जिसके आधार पर बन्दोवस्त सर्वेक्षण पश्चात अस्तित्व में आए नवीन सर्वे नंबर 252/2 एवं 253/2 कुल रकवा 8.91 है0 तहसीलदार द्वारा विधिवत अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व दर्ज कराया गया था। उक्त भूमियां मूल भूमिस्वामी कासिम खां द्वारा आवेदक के पक्ष में विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय करने के उपरांत आवेदक काबिज काश्त रहे। बाद में एन.सी. एल. गोरबी –बी परियोजना द्ववारा उक्त भूमियों का अर्जन किया गया एवं सन् 1992 से बगैर प्रतिकर आदि का भुगतान किये तथा एन.सी.एल. की पुनर्वास नीति का अनुपालन किये बगैर जबरन कोयला उतखनन किया जाने लगा। आवेदक	

द्वारा अपनी भूमियों का विधिवत सीमांकन कराकर एन.सी.एल. की परियोजना में मुआबजा एवं नौकरी आदि के लिये आवेदन पत्र दिये गये किन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गईं । अतएव नौकरी एवं मुआवजा भुगतान कराया जावे।

2– शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा आगे अपने बहस में बताया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा संस्थित किया जाकर अनावेदक पक्ष को आहूत किया जाकर जबाव एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। लेकिन वह अनुपस्थित रहे। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण में आदेश दिनांक 26.5.13 द्वारा निराकरण करते हुये अनावेदक पक्ष एन.सी.एल. गोरबी–बी परियोजना को आदेशित किया गया कि निर्धारित विधि एवं प्रकिया का अनुशरण करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों का अपने नाम स्वत्वों का अंतरण करायें एवं संबंधित भूमिस्वामियों को नियमानुसार देय प्रतिकर तथा अन्य समस्त लाभ जो कि उन्हें भू–अर्जन किये जाने के फलस्वरूप दिये जाते, प्रदाय करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था।

3– अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि एन.सी.एल. द्वारा पालन नहीं किया गया है इसलिये पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया है।

4– मेरे द्वारा शासन के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं

संलग्न अभिलेख का परिशीलन किया गया परिशीलन करने पर पाया गया है कि जो एन.सी.एल. द्वारा अपनी शर्तो का पालन नहीं किया गया है। अतः मैं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क से सहमत हूँ । अतः प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है।

सदस्य